प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, उदयपुर थाना सी.पी.एस., भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2023
प्र.इ.रि.स ....234/23.... दिनांक ....28/8/2023....

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट– धारा 13(1)(ई) सपठित धारा 13 (2) पी.सी. एक्ट 1988 एवं धारा 13(1)(बी) सपठित धारा 13(2) पी.सी. एक्ट (संशोधित 2018)
(2) अधिनियम भा.द.सं. – धारा 120–बी
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या ....561.... समय ....5:15 Pm....
(2) अपराध के घटने का दिन– दिनांक 2–11–1987 से दिनांक 18–4–2023 तक। (संपूर्ण सेवाकाल)
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 17–05–2023

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटना स्थल : –
(1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 120 किलोमीटर
(2) पता– डूंगरपुर एवं उदयपुर जिला (राज.)
.... बीट संख्या .... जरायमदेही संख्या ....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता – हरिश्चंद्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, कार्यालय उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर रेंज उदयपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
श्री बाबूलाल कटारा पुत्र श्री वजेराम कटारा जन्म तिथि 12–11–1964 निवासी ग्राम मालपुर पोस्ट नई बस्ती, पुलिस थाना सदर डूंगरपुर जिला डूंगरपुर तत्कालीन निदेशक (सांख्यिकी), कार्यालय निदेशक, माणिक्य लाल वर्मा, आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर तत्कालीन सदस्य, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर एवं अन्य।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)
क्रम. सं. सम्पत्ति का प्रकार अनुमानित मूल्य वस्तु स्थिति
1. आरोपी द्वारा अपने सेवाकाल के दौरान अपनी वैध आय से कुल 2,08,70,675 रूपये (61 प्रतिशत अधिक) की परिसम्पतियां अधिक अर्जित करना।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य– 2,08,70,675 रूपये आय से अधिक परिसम्पतियां अर्जित करना।

11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदय,

निवेदन है कि आरोपी श्री बाबूलाल कटारा तत्कालीन निदेशक (सांख्यिकी), कार्यालय निदेशक, माणिक्य लाल वर्मा, आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर तत्कालीन सदस्य, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर एवं इनके परिजनों की सम्पत्तियों के संबंध में निर्देशानुसार सूचनायें इत्यादि संकलित की गयी तो पाया गया कि श्री बाबूलाल कटारा पुत्र श्री वजेराम कटारा निवासी ग्राम मालपुर, पोस्ट नई बस्ती, पुलिस थाना सदर डूंगरपुर जिला डूंगरपुर के रहने वाले होकर श्री बाबूलाल कटारा की राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक 2-11-1987 को तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर हुई। श्री बाबूलाल कटारा की प्रथम नियुक्ति तिथि से लेकर दिनांक 14-10-2020 (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) तक निम्नानुसार पदस्थापन रहा है:-

क.सं.	पदस्थापन अवधि	पदस्थापन कार्यालय का नाम
1	2-11-1987 से 8-12-1990	उप जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परिषद डूंगरपुर।
2	10-12-1990 से 19-4-1991	उप प्रधानाचार्य, रा.उ.मा. विद्यालय कुशलगढ जिला बांसवाडा।
3	21-4-1991 से 6-8-1992	जिला सांख्यिकी अधिकारी, बाडमेर
4	10-8-1992 से 31-10-1994	क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) उदयपुर।
5	1-11-1994 से 6-12-1994	डूंगरपुर एकीकृत पडती भूमि विकास परियोजना डूंगरपुर।
6	7-12-1994 से 22-9-1995	विकास अधिकारी, पं.स. भीम जिला राजसमंद।
7	23-9-1995 से 2-10-1997	विकास अधिकारी, पं.स. खेरवाडा जिला उदयपुर।
8	3-10-1997 से 2-8-2000	विकास अधिकारी, पं.स. सागवाडा जिला डूंगरपुर।
9	5-8-2000 से 16-12-2000	विकास अधिकारी, पं.स. सुमेरपुर जिला पाली।
10	17-12-2000 से 31-12-2003	विकास अधिकारी, पं.स. खेरवाडा जिला उदयपुर।
11	1-1-2004 से 27-6-2005	विकास अधिकारी, पं.स. सीमलवाडा जिला डूंगरपुर।
12	28-6-2005 से 18-4-2007	मुख्य आयोजना अधिकारी, राजसमंद।
13	19-4-2007 से 19-2-2013	मुख्य आयोजना अधिकारी, डूंगरपुर
14	20-2-2013 से 5-6-2013	सहायक शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
15	6-6-2013 से 14-10-2020	निदेशक, टी.आर.आई. उदयपुर।
16	14-10-2020 को राजकीय सेवा से सेवानिवृति पश्चात	राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के सदस्य के पद पर।

श्री बाबूलाल कटारा राजकीय सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा श्री बाबूलाल कटारा को सदस्य, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पद पर नियुक्त किया गया जो दिनांक 18-4-2023 तक कार्यरत रहा है। श्री बाबूलाल कटारा के पेनकार्ड नम्बर ADQPK6771R, आधार नम्बर 8255 8380 7494 है।

श्री बाबूलाल कटारा का विवाह श्रीमती शांतिदेवी पुत्री श्री प्रेमजी मीणा (कलासुआ) निवासी अमरपुरा तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर से हुआ। श्रीमती शांतिदेवी कटारा एक गृहणी होना ज्ञात हुआ है।

श्री बाबूलाल कटारा के तीन पुत्रियां श्रीमती मंजू कटारा (जन्म तिथि 15-5-1985), श्रीमती दुर्गावती कटारा (जन्म तिथि 19-12-1989) पेनकार्ड नम्बर CUTPK75555B एवं श्रीमती संगीता कटारा (मूक बधिर) (जन्म तिथि 19-10-1992) है। श्री बाबूलाल कटारा के एक पुत्र श्री दीपेश कटारा का जन्म दिनांक 3-12-1993 को हुआ। श्री दीपेश कटारा के पेनकार्ड नम्बर CVRPK5806J, आधार नम्बर 9199 2664 4890 है। श्री बाबूलाल कटारा का एक पुत्र श्री मुकेश कटारा जिसका आकस्मिक निधन दिनांक 3-5-2017 को हो गया है।

संदिग्ध अधिकारी श्री बाबूलाल कटारा एवं उसकी पत्नी श्रीमती शांतिदेवी, पुत्र व पुत्रियों के नाम से अर्जित वैध आय, खर्च/ व्यय एवं अर्जित परिसम्पत्तियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

प्रपत्र – "अ"

श्री बाबूलाल कटारा तत्कालीन निदेशक (सांख्यिकी), कार्यालय निदेशक, माणिक्य लाल वर्मा, आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर तत्कालीन सदस्य, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा प्रथम नियुक्ति दिनांक 2-11-1987 से पूर्व अर्जित की गयी सम्पति :-

क्र. सं.	विवरण	कीमत

-शून्य-

प्रपत्र – "ब"

श्री बाबूलाल कटारा तत्कालीन निदेशक (सांख्यिकी), कार्यालय निदेशक, माणिक्य लाल वर्मा, आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर तत्कालीन सदस्य, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा चेक अवधि दिनांक 2-11-1987 से दिनांक 18-4-2023 तक अर्जित की गई संपतियां –

क्र. सं.	विवरण	राशि (रूपये में)
1	श्री बाबूलाल कटारा के पुत्र श्री दीपेश कटारा के नाम पर राजस्व ग्राम मालपुर तहसील व जिला डूंगरपुर में स्थित आराजी संख्या 1555 रकबा 0.0100 हैक्टेयर एवं 1562 रकबा 1.5300 हैक्टेयर कुल रकबा 1.5400 हैक्टेयर दिनांक 6-1-2023 को 10 लाख रूपये में कय किया है। जिस पर स्टाम्प, पंजीयन शुल्क इत्यादि के 88,300 रूपये व्यय किये गये। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि की कुल कीमत-	10,88,300
2	श्री बाबूलाल कटारा के द्वारा दिनांक 26-12-2022 को राजस्व ग्राम मालपुर नगरपरिषद डूंगरपुर में स्थित एक आवासीय भूखण्ड सं 1524/1 क्षेत्रफल 2487 वर्गफीट (231.13 वर्गमीटर) को 17,23,491 रूपये में कय किया है। जिस पर स्टाम्प, पंजीयन शुल्क इत्यादि के 1,51,968 रूपये व्यय किये गये। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि की कुल कीमत-	18,75,459
3	श्री बाबूलाल कटारा के द्वारा अपने पुत्र श्री दीपेश कटारा के नाम पर दिनांक 29-3-2022 को राजस्व ग्राम मालपुर तहसील व जिला डूंगरपुर में स्थित कृषि भूमि जिसके आराजी संख्या 703 एवं 707 कुल रकबा 0.14 हैक्टेयर में से विकेतागण के 19/22 हिस्से की कृषि भूमि को 1,72,000 रूपये में कय किया है। जिस पर स्टाम्प, सरचार्ज, पंजीयन शुल्क इत्यादि के 18,125 रूपये व्यय किये गये। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि की कुल कीमत-	1,90,125
4	श्री बाबूलाल कटारा के द्वारा अपने पुत्र श्री दीपेश कटारा के नाम पर दिनांक 09-07-2021 को राजस्व ग्राम मालपुर तहसील व जिला डूंगरपुर में स्थित कृषि भूमि जिसके आराजी संख्या 469, 470 एवं 471 कुल रकबा 16 बिस्वा 1,96,000 रूपये में कय किया है। जिस पर स्टाम्प, सरचार्ज, पंजीयन शुल्क इत्यादि के 17,586 रूपये व्यय किये गये। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि की कुल कीमत-	2,13,586
5	श्री बाबूलाल कटारा के द्वारा अपने पुत्र श्री दीपेश कटारा के नाम पर वर्ष 2022 में हास्पीटल रोड डूंगरपुर पर एक व्यवसायिक भूखण्ड क्षेत्रफल 1330 वर्गफीट को 25,00,000 रूपये में कय किया जाना ज्ञात हुआ। जिस पर स्टाम्प, सरचार्ज, पंजीयन शुल्क इत्यादि के 2,20,300 रूपये व्यय किये गये। इस प्रकार उक्त भूखण्ड की कुल कीमत-	27,20,300
6	एक दानपत्र जो 25-25 हजार रूपये कुल 50,000 रूपये स्टाम्प पर दिनांक 20-3-2015 को दानदाता श्री हीरालाल पिता प्रेम जी मीणा (कलासुआ) निवासी अमरपुरा तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर के द्वारा	29,23,658

	दानग्रहिता श्रीमती शांति पुत्री श्री प्रेमजी मीणा (कलासुआ) पत्नी श्री बाबूलाल कटारा निवासी 62, मालपुर तहसील व जिला डूंगरपुर के नाम संपादित कर रखा है जो उप पंजीयक उदयपुर द्वितीय के यहां दिनांक 20–3–2015 को ही पंजीयन कराया गया। उक्त दानपत्र के अनुसार मकान नम्बर 06 एफ, राजस्व ग्राम सविनाखेडा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर के खसरा नम्बर 798 से 804 में स्थित आबादी मकान जिसमें भूखण्ड का क्षेत्रफल 1447.5 वर्गफीट होकर भूतल का कवर्ड एरिया 1100 वर्गफीट एवं प्रथम तल का कवर्ड एरिया 900 वर्गफीट अंकित है। जिसमें पंजीयन इत्यादि शुल्क के 28,550 रूपये अंकित है। पंजीयन करते समय उक्त मकान की कुल मालियत 28,24,488 रूपये है जिस पर पंजीयन शुल्क 28,550 रूपये, अन्य शुल्क 70,620 रूपये व्यय किये गये। इस प्रकार कुल 29,23,658 रूपये होते है।	
7	अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका डूंगरपुर के द्वारा उनके कार्यालय क्रमांक 5763 दिनांक 3–1–2004 से स्थान राजपुर व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 1 जिसकी साईज 15 बाई 30 मीटर जो 99 वर्षीय लीज होल्ड पर श्री वजेराम पिता श्री अमरा जी कटारा निवासी डूंगरपुर के नाम संपादित है। उक्त पत्र के संलग्न एक दानपत्र 8000 रूपये के स्टाम्प पर संपादित होकर श्रीमती सूरजदेवी स्व. श्री वजेराम कटारा निवासी मालपुर तहसील व जिला डूंगरपुर के द्वारा श्री बाबूलाल पिता स्व. श्री वजेराम कटारा निवासी मालपुर तहसील व जिला डूंगरपुर जिसका पंजीयन उप पंजीयक डूंगरपुर के कार्यालय में दिनांक 5–7–2012 को संपादित हुआ। जिसमें पंजीयन इत्यादि शुल्क के 13,440 रूपये जमा हुए। उक्त व्यावसायिक भूखण्ड जो शहर डूंगरपुर के राजपुर में स्थित होकर व्यावसायिक योजना का भूखण्ड नम्बर 01 साईज 15 बाई 30 मीटर का जो नगरपालिका डूंगरपुर में दिनांक 13–1–2003 को 2,92,000 रूपये में द्वितीय पक्ष श्री बाबूलाल कटारा के द्वारा क्रय किया गया। दस्तावेज के अनुसार उक्त भूखण्ड की कुल कीमत 3,05,440 रूपये होती है। उक्त व्यावसायिक भूखण्ड पर बाद में श्री बाबूलाल कटारा के द्वारा 3 मंजिला व्यावसायिक निर्माण कार्य कराया गया है। जिसका अनुमानित 50,00,000 रूपये का व्यय होना ज्ञात हुआ है। इस प्रकार उक्त सम्पति की कुल कीमत –	53,05,440
8	अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका डूंगरपुर के द्वारा उनके कार्यालय क्रमांक 815192 दिनांक 8–5–1997 के द्वारा एक आवासीय भूखण्ड संख्या 414 जो डूंगरपुर में स्थित होकर साईज 13 गुणा 18 मीटर जो 99 वर्षीय लीज होल्ड पर श्रीमती शांता देवी पत्नी श्री बाबूलाल कटारा निवासी मालपुर जिला डूंगरपुर को 1,32,000 रूपये में देना पत्र में अंकित कर रखा है। उक्त पत्र के संलग्न अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका डूंगरपुर के पत्रांक 323–324 दिनांक 17–9–1997 से श्रीमती शांता देवी पत्नी श्री बाबूलाल को भवन निर्माण की स्वीकृति पत्र जारी किया हुआ है। जिस पर श्री बाबूलाल कटारा के द्वारा उक्त भूखण्ड पर भू–तल एवं प्रथम तल पर मकान निर्माण कर श्री बाबूलाल कटारा अपने परिवार सहित निवासरत है। उक्त आवासीय भूखण्ड 1,32,000 रूपये एवं उस पर किये गये निर्माण की अनुमानित कुल 55,00,000 रूपये का व्यय किया जाना ज्ञात हुआ है। इस प्रकार मकान की कुल कीमत –	56,32,000
9	श्री अमरा कटारा पुत्र श्री धुला कटारा निवासी धुमणिया फला पाल नाथूगामडा तहसील व जिला डूंगरपुर के द्वारा श्री दीपेश कटारा पुत्र श्री बाबूलाल कटारा निवासी डूंगरपुर के नाम पर राजस्व ग्राम भाटपुर जिला डूंगरपुर की खसरा नम्बर 401 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 402 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा कृषि भूमि कुल रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा कृषि भूमि को	18,28,164

	जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के 16,80,000 रूपये में विक्रय किया। जिसका पंजीयन उप पंजीयक डूंगरपुर कार्यालय में दिनांक 31-8-2021 को संपादित हुआ। पंजीयन, स्टाम्प शुल्क इत्यादि के कुल 1,48,164 रूपये, इस प्रकार उक्त कृषि भूमि की कुल कीमत –	
10	श्री रमेश, वेलू पिता नाथू व अन्य के द्वारा श्रीमती दुर्गावती कटारा पिता श्री बाबूलाल कटारा निवासी सुभाष नगर, मालपुर तहसील व जिला डूंगरपुर को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के राजस्व ग्राम भाटपुर तहसील व जिला डूंगरपुर में स्थित कृषि भूमि रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा 6,00,000 रूपये में दिनांक 17-6-2021 को विक्रय की। जिसमें पंजीयन शुल्क, सरचार्ज इत्यादि के कुल 98,600 रूपये व्यय किये गये। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि की कुल कीमत –	6,98,600
11	श्री प्रकाश, रामचंद्र, कैलाश पिता बंशी व अन्य निवासी पाल नाथूगामडा जिला डूंगरपुर के द्वारा श्री दीपेश कटारा पिता श्री बाबूलाल कटारा निवासी 414, सुभाष नगर, मालपुर तहसील व जिला डूंगरपुर को राजस्व ग्राम भाटपुर तहसील व जिला डूंगरपुर में स्थित कृषि भूमि रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के दिनांक 17-6-21 को 10,00,000 रूपये में विक्रय किया। पंजीयन शुल्क इत्यादि के 1,01,956 रूपये व्यय किये गये। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि की कुल कीमत–	11,01,956
12	श्री बाबूलाल कटारा के नाम पर दिनांक 5-7-2012 को ग्राम मालपुर हाल सुभाष नगर डूंगरपुर में एक व्यवसायिक भूखण्ड अपनी माताजी से जरिये गिफ्ट डीड प्राप्त हुआ। जिसमें स्टाम्प ड्यूटी इत्यादि के रूप में किया गया अनुमानित व्यय–	15,00,000
13	एक जीप कम्पास जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 12 सीबी 6003 हो श्री दीपेश कटारा पुत्र श्री बाबूलाल कटारा के नाम पर दिनांक 17-7-2021 में 28,49,000 रूपये में क्रय की गयीं। जिस पर एक बारीय एवं अन्य कर के रूप में कुल 3,89,215 रूपये व्यय किये गये। इस प्रकार उक्त जीप की कुल कीमत –	32,38,215
14	एसबीआई बैंक शाखा सेक्टर 14, उदयपुर में स्थित खाता सं. 00000061001435380 जो श्री बाबूलाल कटारा के नाम पर होकर दिनांक 18-4-2023 को जमाशेष–	6,06,063
15	पंजाब नेशनल बैंक, डूंगरपुर में स्थित खाता संख्या 0623000100132176 जो श्री बाबूलाल कटारा के नाम पर होकर दिनांक 18-4-2023 को जमाशेष–	1,05,229
16	पंजाब नेशनल बैंक, डूंगरपुर में स्थित खाता संख्या 0623000100132176 जो श्रीमती शांतिदेवी कटारा के नाम पर होकर दिनांक 18-4-2023 को जमाशेष –	2793
17	पंजाब नेशनल बैंक, डूंगरपुर में स्थित खाता संख्या 0623000100132176 जो श्री दीपेश कटारा के नाम पर होकर दिनांक 18-4-2023 को जमाशेष–	2523
18	आईडीबीआई बैंक, डूंगरपुर में स्थित खाता संख्या 1518104000089955 जो श्री दीपेश कटारा के नाम पर होकर दिनांक 18-4-2023 को जमाशेष –	4,94,920
19	एचडीएफसी बैंक, डूंगरपुर में स्थित खाता संख्या 50100301121266 जो श्री दीपेश कटारा के नाम पर होकर दिनांक 18-4-2023 को जमाशेष –	24,355
20	राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, बापू बाजार, उदयपुर में स्थित खाता संख्या 83055620025 जो श्री बाबूलाल कटारा के नाम पर होकर दिनांक 18-4-2023 को जमाशेष –	15,251

21	राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, बापू बाजार, उदयपुर में स्थित खाता संख्या 83055620047 जो श्रीमती शांतिदेवी कटारा के नाम पर होकर दिनांक 18-4-2023 को जमाशेष-	1,90,107
22	श्री बाबूलाल कटारा को एसओजी राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 18-4-2023 को गिरफ्तार किया गया था। श्री बाबूलाल कटारा के मकान की तलाशी में मिली कुल अवैध राशि-	51,20,000
23	श्री बाबूलाल कटारा को एसओजी राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 18-4-2023 को गिरफ्तार किया गया। जिस पर प्रकरण के अनुसंधान के दौरान एसओजी द्वारा श्री बाबूलाल कटारा से सोने के आभूषण कुल 09 नग (541 ग्राम) नगद बरामद किये गये। वर्ष 2023 में सोने की कीमत 55,000 रूपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से 541 ग्राम सोने के आभूषण की कुल कीमत -	29,70,000
24	श्री बाबूलाल कटारा ने अपने पुत्र श्री दीपेश कटारा के नाम पर एक टीवीएस स्कूटी एनटॉर्क को वर्ष 2019-2020 में क्रय करना ज्ञात हुआ है।	90,000
	योग	**3,79,37,044**

प्रपत्र - "स"

श्री बाबूलाल कटारा तत्कालीन निदेशक (सांख्यिकी), कार्यालय निदेशक, माणिक्य लाल वर्मा, आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर तत्कालीन सदस्य, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा चैक अवधि दिनांक 2-11-1987 से दिनांक 18-4-2023 तक प्राप्त आय-

क्र. सं.	विवरण	राशि (रूपये में)
1	श्री बाबूलाल कटारा की प्रथम नियुक्ति दिनांक 2-11-1987 से माह दिसम्बर 1990 तक का वेतन ब्यौरा ज्ञात नहीं होने के कारण उक्त अवधि में आरोपी को वेतन के रूप में 1,25,000 रूपये अनुमानित शुद्ध आय प्राप्त होना माना गया है। माह जनवरी 1991 से दिनांक 14-10-2020 (स्वैच्छिक सेवानिवृति) तक वेतन ब्यौरा के अनुसार श्री बाबूलाल कटारा को 1,82,39,151 रूपये सकल वेतन के रूप में प्राप्त हुए। उक्त राशि में से आयकर कटौतियां 18,98,907 रूपये होने के पश्चात सकल वेतन राशि 1,82,39,151 रूपये में से 18,98,907 रूपये को घटाये जाने के पश्चात 1,63,40,244 रूपये होते है। इस प्रकार श्री बाबूलाल कटारा को उपरोक्तानुसार शुद्ध वेतन के रूप में क्रमशः 1,25,000 रूपये एवं 1,63,40,244 रूपये कुल राशि 1,64,65,244 रूपये की आय शुद्ध वेतन के रूप में प्राप्त हुई है।	1,64,65,244
2	श्री बाबूलाल कटारा को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने पर निम्नानुसार राशि मिलीः- 1. वेतन - 13,82,112 रूपये 2. ग्रेच्यूटी- 20,00,000 रूपये 3. कम्यूनेटेड पेंशन- 25,95,567 रूपये 4. लींव इन्केशमेंट - 17,71,380 रूपये 5. स्टेट इन्श्योरेंस- 8,38,525 रूपये 6. जीपीएफ - 33,68,354 रूपये .... योग- 1,19,55,938 रूपये	1,19,55,938
3	श्री बाबूलाल कटारा को राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में सदस्य के पद पर दिनांक 15-10-2020 से दिनांक 18-4-2023 तक के कार्यकाल के दौरान सकल वेतन के रूप में कुल 72,60,286 रूपये प्राप्त	56,71,474

	हुए है। उक्त राशि में से 15,88,812 रूपये आयकर कटौतियां हुई। उक्त सकल वेतन राशि 72,60,286 रूपये में से आयकर कटौतियां 15,88,812 रूपये को घटाये जाने के पश्चात श्री बाबूलाल कटारा को राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में सदस्य के रूप में 56,71,474 रूपये शुद्ध वेतन के रूप में आय प्राप्त हुई है।	
	योग	**3,40,92,656**

प्रपत्र – "द"

श्री बाबूलाल कटारा तत्कालीन निदेशक (सांख्यिकी), कार्यालय निदेशक, माणिक्य लाल वर्मा, आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर तत्कालीन सदस्य, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा चैक अवधि दिनांक 2–11–1987 से दिनांक 18–4–2023 तक किया गया व्यय –

क्र. सं.	विवरण	राशि (रूपये में)
1	श्री बाबूलाल कटारा को वेतन के रूप में क्रमशः 1,64,65,244 रूपये एवं 56,71,474 रूपये, कुल 2,21,36,718 रूपये को आरोपी की आय में सम्मिलित की गयी है। उक्त राशि का असत्यापनीय व्यय 1/3 भाग राशि –	73,78,906
2	श्री बाबूलाल कटारा की पुत्री श्रीमती मंजू कटारा की स्कूली/ कॉलेज/ बीएड शिक्षा पर अनुमानित व्यय 5,00,000 रूपये, श्रीमती दुर्गावती कटारा की स्कूली शिक्षा पर अनुमानित 6,00,000 रूपये का व्यय हुआ है इसके अलावा श्रीमती दुर्गावती कटारा के द्वारा एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज जयपुर से वर्ष 2008 में एम.बी.बी.एस. की जाना ज्ञात हुआ है। जिसकी थिक्षा, आवास एवं अन्य पर 10,00,000 रूपये का व्यय होना ज्ञात हुआ है। श्रीमती संगीता कटारा की शिक्षा पर अनुमानित व्यय 2,00,000 रूपये, इस प्रकार पुत्रियों की शिक्षा पर कुल अनुमानित व्यय 23,00,000 रूपये होना ज्ञात हुआ है।	23,00,000
3	श्री दीपेश कटारा की स्कूली शिक्षा पर अनुमानित व्यय 5,00,000 रूपये होना ज्ञात हुआ है एवं श्री दीपेश कटारा के द्वारा महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर से वर्ष 2021 में एम.बी.बी.एस. की। जिसकी टयूशन फीस 27,00,000 रूपये, हॉस्टल फीस 3,20,000 रूपये, मैस चार्ज 3,76,200 रूपये, विद्युत खर्च 61,181 रूपये, इस प्रकार एमबीबीएस की शिक्षा के दौरान कुल 34,57,381 रूपये व्यय हुए है। इस प्रकार पुत्र श्री दीपेश कटारा की शिक्षा पर क्रमशः 5,00,000 रूपये एवं 34,57,381 रूपये कुल 39,57,381 रूपये होते है।	39,57,381
4	श्री बाबूलाल कटारा की पुत्रियां श्रीमती मंजू कटारा का विवाह वर्ष 2010 में श्री राजेन्द्र डिण्डोर निवासी सागवाडा जिला डूंगरपुर से हुआ है, जिसके विवाह पर अनुमानित व्यय 10,00,000 रूपये होना ज्ञात हुआ है। श्रीमती दुर्गावती कटारा का विवाह वर्ष 2021 में डॉ. रवि घोघरा निवासी देवल जिला डूंगरपुर से हुआ है, जिसके विवाह पर अनुमानित व्यय 10,00,000 रूपये होना ज्ञात हुआ है। श्रीमती संगीता कटारा का विवाह वर्ष 2022 में श्री हर्षदित्य परमार निवासी राघेला जिला डूंगरपुर से हुआ है, जिसके विवाह पर अनुमानित व्यय 5,00,000 रूपये होना ज्ञात हुआ है। कुल प्रकार पुत्रियों के विवाह पर हुआ कुल व्यय –	25,00,000
5	वाहन जीप कम्पास के इन्श्योरेंस एवं रखरखाव इत्यादि पर अनुमानित व्यय –	70,000
6	श्री बाबूलाल कटारा ने अपने पुत्र श्री दीपेश कटारा के नाम पर एक टीवीएस स्कूटी एनटॉर्क के इन्श्योरेंस एवं रखरखाव इत्यादि पर अनुमानित व्यय –	20,000

7	मकान नम्बर 06 एफ, राजस्व ग्राम सविनाखेडा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर के रिनोवेशन, लेटबॉथ इत्यादि निर्माण में हुआ अनुमानित व्यय–	8,00,000
	योग	**1,70,26,287**

आरोपी श्री बाबूलाल कटारा का साला श्री हीरालाल मीणा (कलासुआ) निवासी अमरपुरा तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर जो एक सामान्य परिवार से हो लघु कृषि का कार्य करना ज्ञात हुआ है। जिसकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ नहीं है। ऐसी स्थिति में श्री हीरालाल मीणा के द्वारा उपरोक्त मकान नम्बर 06 एफ, राजस्व ग्राम सविनाखेडा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर जो दो मंजिला निर्माणशुदा होकर अपनी बहिन श्रीमती शांतिदेवी पत्नी श्री बाबूलाल कटारा को दानपत्र के माध्यम से जरिये पंजीयन गिफ्ट दिया गया है। जिससे स्पष्ट है कि श्री बाबूलाल कटारा ने अपनी अवैध राशि को वैध राशि घोषित कराने की नियत से ही उक्त मकान को अपने साला श्री हीरालाल मीणा के माध्यम से अपनी पत्नी श्रीमती शांतिदेवी के नाम दिनांक 20–3–2015 को पंजीयन कराया है। इसी कारण से उक्त मकान की कीमत को आरोपी की सम्पति पक्ष में सम्मिलित किया गया है।

आरोपी श्री बाबूलाल कटारा के पुत्र श्री दीपेश कटारा के द्वारा महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर से वर्ष 2021 में एम.बी.बी.एस. की शिक्षा पूर्ण के बाद किसी सेवा में नहीं रहा है।

इस प्रकार आरोपी श्री बाबूलाल कटारा तत्कालीन निदेशक (सांख्यिकी), कार्यालय निदेथक, माणिक्य लाल वर्मा, आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर तत्कालीन सदस्य, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा आलोच्य अवधि दिनांक 2–11–1987 से दिनांक 18–4–2023 तक कुल 3,40,92,656 रूपये की आय अर्जित की है। उक्त अवधि में आरोपी के द्वारा कुल 3,79,37,044 रूपये की सम्पतियां अर्जित की है एवं 1,70,26,287 रूपये का व्यय किया है। सम्पति तथा व्यय का जोड 3,79,37,044 + 1,70,26,287 =5,49,63,331 रूपये होते है। उक्त राशि 5,49,63,331 रूपये में से आय 3,40,92,656 रूपये घटाये जाने के पश्चात 2,08,70,675 रूपये की परिसम्पतियां अधिक होती है, जो 61 प्रतिशत अधिक है।

आरोपी श्री बाबूलाल कटारा एवं इनके परिवारजनों की उपरोक्त परिसम्पतियों के अलावा और भी नामी/ बेनामी चल–अचल परिसम्पतियां एवं शेयर, म्युचुअल फण्ड, बॉण्ड, एलआईसी पॉलिसियां इत्यादि मिलने की संभावना है जो कि प्रकरण पंजीबद्ध होने के पश्चात ही विस्तृत अनुसंधान से इसकी पुष्टि हो सकेगी।

आरोपी श्री बाबूलाल कटारा तत्कालीन निदेशक (सांख्यिकी), कार्यालय निदेशक, माणिक्य लाल वर्मा, आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर तत्कालीन सदस्य, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर एवं अन्य के विरूद्ध ज्ञात वैध आय से अधिक की परिसम्पत्तियां अर्जित करने का कृत्य अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित धारा 13 (2) पी.सी. एक्ट 1988 एवं 13(1)(बी) सपठित धारा 13(2) पी.सी. एक्ट (संशोधित 2018) एवं 120 बी भा.द.सं. के तहत अपराध घटित होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः प्रारूप प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(हरिश्चंद्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक
कार्यालय उप महानिरीक्षक पुलिस
भ्र.नि.ब्यूरो, उदयपुर रेंज उदयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट हरिश्चन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, कार्यालय उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर रेंज, उदयपुर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 13(1)(बी) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपी श्री बाबूलाल कटारा पुत्र श्री वजेराम कटारा तत्कालीन निदेशक (सांख्यिकी), कार्यालय निदेशक, माणिक्य लाल वर्मा, आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर तत्कालीन सदस्य, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 234/2023 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई।

28.8.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2681-84 दिनांक 28.08.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. प्रमुख शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।

28.8.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।